शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

पत्रांक : रा0स्वा0बी0यो0/पत्रा–444/2016–17/42 लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2017

विषय : **उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों में राज्य सरकार द्वारा अनुबन्धित सी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को असाध्य एवं आपातकालीन बीमारियों में राज्य सरकार द्वारा अनुबन्धित सी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2016 (यथा–संशोधित) जारी कर दी गयी है। तदनुसार स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इसी क्रम में वेबसाइट–www.uphealth.up.nic.in पर एन0आई0सी0 द्वारा विकसित किये गये आवेदन पत्र का प्रारूप उपलब्ध करा दिया गया है। इस प्रारूप पर प्रत्येक लक्षित लाभार्थी (राज्य कर्मचारी एवं पेंशनर्स) आवेदन पत्र अपने डी0डी0ओ0 को उपलब्ध कराएगा, जिसे डी0डी0ओ0 द्वारा सत्यापित कर कार्ड प्रिन्टिंग हेतु प्रयोग में लाया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह विकल्प भी उपलब्ध है कि लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र आंनलाईन भरा जाये, जिसे डी0डी0ओ0 द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात कार्ड प्रिंट किया जा सकेगा। इसी प्रकार राज्य के पेन्शनर्स (अवकाश प्राप्त राज्य कर्मचारी) के आवेदन पत्र एस0टी0ओ0 (वरिष्ठ कोषाधिकारी) द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात कार्ड प्रिंट किया जा सकेगा। कर्मचारियों के आवेदन पत्रों का सत्यापन करने से पूर्व समस्त डी0डी0ओ0/एस0टी0ओ0 का एन0आई0सी0 में पंजीकरण आवश्यक है। डी0डी0ओ0/एस0टी0ओ0 का पंजीकरण फार्म एन0आई0सी0 के वेबसाइट–www.uphealth.up.nic.in पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड करने के पश्चात् डी0डी0ओ0 द्वारा भरकर एन0आई0सी0 के ई–मेल आई0डी0–rawat.ak@nic.in पर प्रेषित किया जायेगा, जिसके पश्चात् डी0डी0ओ0 का यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर स्वतः प्रेषित (autogenerated) हो जायेगा।

इस योजना को क्रियान्वित करने हेतु स्टेट एजेन्सी फॉर कॉम्प्रीहेन्सिव हेल्थ इंश्योरेन्स (SACHI) को शासन द्वारा अधिकृत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में सभी राज्य कर्मचारियों एवं पेन्शनर्स के स्टेट हेल्थ कार्ड समयान्तर्गत बनाये जाने हेतु सभी डी0डी0ओ0 एवं एस0टी0ओ0 का सम्वेदीकरण करना आवश्यक है। तत्क्रम में राज्य के सभी डी0डी0ओ0/एस0टी0ओ0 का विवरण साची को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाना है, जिससे राज्य कर्मचारियों का योजनान्तर्गत पंजीकरण समय से सुनिश्चित करने हेतु उन्हें आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किया जा सके।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ विभागों के समस्त डी0डी0ओ0 (आहरण वितरण अधिकारी)/एस0टी0ओ0 (वरिष्ठ कोषाधिकारी) के विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर ई–मेल आई0डी0–uprsby@yahoo.co.in पर एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देने का कष्ट करें।

क्र0सं0	जनपद	विभाग/कार्यालय	डी0डी0ओ0/एस0टी0ओ0 का नाम	मोबाइल नम्बर	ई–मेल आईडी

योजना का क्रियान्वयन 01 मई, 2017 से किया जाना निर्धारित है। अतः यह उचित होगा कि समस्त विभागीय राज्य कर्मचारियों का समयान्तर्गत पंजीकरण सुनिश्चित किये जाने हेतु आपके स्तर से प्रतिमाह समीक्षा करते हुए यथावश्यक दिशा–निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को प्रेषित किये जायें। तत्क्रम में आपसे अनुरोध है कि योजना के अन्तर्गत पंजीकरण की स्थिति की प्रतिमाह समीक्षा करते हुए निम्नलिखित प्रारूप पर आख्या साची की ई–मेल आई0डी0–uprsby@yahoo.co.in पर प्रेषित करने तथा प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करने का कष्ट करें :–

State Employee Cashless Treatment Scheme (SECTS) - प्रगति माह–..................., 2017

विभाग का नाम : ....

डी0डी0ओ0 की कुल संख्या	योजनान्तर्गत एन0आई0सी0 में पंजीकृत डी0डी0ओ0 की कुल संख्या	पंजीकरण हेतु अवशेष डी0डी0ओ0 की संख्या (1–2)	विभाग के अधीन राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या	योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या	डी0डी0ओ0 द्वारा सत्यापित आवेदनों की कुल संख्या	अवशेष आवेदनों की कुल संख्या (5–6)	ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या, जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है।
01	02	03	04	05	06	07	08

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक : रा0स्वा0बी0यो0/पत्रा–444/2016–17/42 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक कोषागार, 10वाँ तल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी का विवरण साची को उपरोक्त प्रारूप के अनुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. विशेष सचिव, चिकित्सा अनुभाग–06, उ0प्र0 शासन।
3. अनुभाग अधिकारी, चिकित्सा अनुभाग–06, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

(हस्ताक्षर)

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव

जारी
12-01-17